

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रहलाद पुत्र भाईदीन सोनकर नि० डिहवा इन्द्रा पारा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-45/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सोमेश पुत्र भगवत नि० नैन ज्योतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-68/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम जियावन पुत्र मनिराम नि० परशुरामपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-35/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामनरेश पुत्र बुद्धिराम नि० जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-64/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामभान सिंह पुत्र स्व० विक्रम सिंह नि० दुलम्भीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-58/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट मे की गयी कार्यवाही—

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ राजू पुत्र भुलई नि० चर्तुभुजवा महादेवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से

01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना खरगूपुर में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-55/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त धनश्याम यादव पुत्र राम हृदय यादव नि0 बकियापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना तरबगंज में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-57/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त जगराम पुत्र जगप्रसाद नि0 भरथीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-357/20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी दुर्गा प्रसाद पुत्र रामअभिलाश नि0 हथिनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा की जमीन को कूटरचित ढंग से बैनामा करवा दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लडकी को भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने नाबालिग लडकी को भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त इस्लाम पुत्र मुमताज खान नि0 रेतिया बन्देअली की छावनी थाना कैण्ट जनपद अयोध्या को थाना छपिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-48/21, धारा 363 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी को भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लडकी के पिता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 26.02.2021

01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मोनू चौहान पुत्र विनोद चौहान नि० शम्भू नगर बूटहा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-60/21, धारा 8/20, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.02.2021 की रात्रि थाना मनकापुर के उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० मनकापुर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय ।
02. हे०का० जितेन्द्र सिंह यादव ।
03. का० मिथिलेश कुमार चौरासिया ।